(10)

(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3045/2018/सतना/भू0रा0 विरूद्व आदेश दिनांक 09–05–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग सतना का प्रकरण 01/अन्तरण/ 2017–18

रमाशंकर द्विवेदी तनय स्व0 शम्भू प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम रूगवा तहसील अमरपाटन
जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

अरूण कुमार द्विवेदी एडवोकेट तनय रामायण प्रसाद
निवासी ग्राम रूगवा तहसील अमरपाटन
जिला सतना म0प्र0 हाल मुकाम जिला एवं
सत्र न्यायालय नवनिर्मित कक्ष कमांक 1 रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री राकेश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक कुमार तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 4/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 09–05–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त कटरा तहसील अमरपाटन के रा.प्र.क. 4/अ68/14–15 को अंतरित किये जाने हेतु संहिता की धारा 29 के तहत आवेदन अपर आयुक्त रीवा में प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 01/अंतरण/2017–18 दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनने के

पश्चात दिनांक 9–5–2018 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण तहसीलदार हुजूर जिला रीवा को अंतरित किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदर के समक्ष अतिकमण के संबंध में दिनांक 15–6–15 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया लेकिन 12–10–2017 तक अतिकमण के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। संहिता की धारा 248 के प्रकरण दो वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहने से शासकीय भूमि के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। इसी कारण अपर आयुक्त के समक्ष अंतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने प्रकरण नायब तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा के स्थन पर तहसीलदार हुजूर को प्रकरण अंतरित किया। इस न्यायालय में आवेदक ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरण आदेश को गलत माना जा सके। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 09–5–2018 स्थिर रखा जाता है।

04/02/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर